अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 30/10/2023 पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकीलान उप LPO
एवं वादी पक्ष है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 30/11/23 को पेश हो।

वकीलान उभय। वकील प्रार्थीगण ने
एक प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि
पत्रावली के गहन परीक्षण से ज्ञात है
कि इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना
चाहते हैं अतः निस्तारित कर खारिज फरमाया
जावे। तदनुसार वकील प्रार्थीगण के
हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थना पत्र का
अवलोकन किया गया।

अतः न्यायहित में प्रार्थना
पत्र निस्तारित कर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर नम्बर से कम
होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)